



MADHYA PRADESH ROAD DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

(Govt. of M.P. Undertaking)

45 - A, Arera Hills, Bhopal - 462 011

Tel: (O) 0755 - 2765196, 205, 213, 216 (EPBX) Fax: 91-755-2572643

Website : www.mprdc.nic.in

OFFICE OF THE DIVISIONAL MANAGER

Opp. Office of the Chief Engineer (c/z) P.W.D., Civil lines, JABALPUR - 482001

TEL: 0761 - 2624055, FAX +91-761-2624055

(CIN : U45203MP2004SGC016758)

पत्र क्रमांक 1325 /एम.पी.आर.डी.सी. /2020

जबलपुर, दिनांक 11.11.2020

प्रति,

✓ कलेक्टर महोदय
जिला-मंडला (म.प्र.)

विषय :- पद्मि-रामनगर-घुघरी-सल्वा मार्ग (0+000 कि.मी. से 51+342 कि.मी.) में मंडला जिले में लगभग 5.7 हेक्टेयर वन भूमि में कार्य किया जाना प्रस्तावित है। वनभूमि में कार्य करने के लिए अनुसूचित जनजाती एवं परंपरागत वननिवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (2) के अंतर्गत प्रमाण पत्र जारी करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा पद्मि-रामनगर-घुघरी-सल्वा मार्ग (0+000 कि.मी. से 51+342 कि.मी.) बनाया जाना प्रस्तावित है। जिसमें वन क्षेत्र में कार्य करने के लिए लगभग 5.7 हेक्टेयर वन भूमि उपयोग में लाई जाएगी। जिसके लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत ऑनलाईन प्रस्ताव लगाया जाना है। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (2) के अंतर्गत FRA प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।

अतः अनुसूचित जनजाति एवं परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें। जिससे सड़क निर्माण के पूर्व की कार्यवाही समय सीमा में की जा सके।

सहपत्र:- उपरोक्तानुसार।

संभागीय प्रबंधक
म.प्र. रोड डेव्हलपमेण्ट कारपोरेशन लि.
जबलपुर (म.प्र.)

पू. क्रमांक :-

/एमपीआरडीसी /2020

जबलपुर, दिनांक 10.10.2020



अपर प्रधान वन संरक्षक (भू-प्रबंध) भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

- एन.ली. -
संभागीय प्रबंधक
म0प्र0 रोड डेव्हलपमेण्ट कॉर्पोरेशन लि0
जबलपुर